Website:- www.dipronline.org
email:- projjn@rediffmail.com,
राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

शनिवार से एक सप्ताह के लिए जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी

झुंझुनू, 26 फरवरीः जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके होली व धुलण्डी के त्योंहार को ध्यान में रखते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 27 फरवरी की दोपहर 12 बजे से 5 मार्च की मध्य रात्रि तक जारी रहेगी।

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बिना ना तो सार्वजनिक स्थल पर सभा कर सकेंगे और ना ही किसी तरह का जुलूस निकाल सकेंगे। झुंझुनू शहर के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट को तथा सभी उपखण्ड क्षेत्र के लिए वहां के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तोल, एम.एल. गन व तेज धार वाले शस्त्र लाठी, डण्डा, स्टिक आदि) को ना तो साथ लेकर चलेगा ना ही इनका प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत तथा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों तथा सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना व उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट भी होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ जो जन समुदाय को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले हों, को भी साथ लेकर नहीं चलने दिया जायेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा और ना ही प्रयोग के लिए प्रयुक्त करेगा। विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों व कांच की बोतलों में भी लेकर चलने व प्रयोग पर प्रतिबन्ध रहेगा। उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील उत्तेजक हरकतों, अश्लील गायन, ऑडिया कैसेट बजाने आदि का प्रदर्शन भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करने दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति राह चलते वाहनों, राहगीरों एवं अन-इछुच्क व्यक्तियों पर उनकी अनिच्छा के होते हुये रंग, गुलाल, घातक रसायन भरे गुब्बारे, कीचड़, ऑयल पेन्ट या अन्य प्रकार के कोई भी पदार्थ

ना तो लगायेंगे और ना ही डालेंगे। किसी भी समुदाय के धार्मिक एवं पूजा स्थलों पर रंग, गुलाल, रंग के गुब्बारे, रंग भरी कांच या प्लास्टिक की बोंतले आदि फैंकने व पूजा स्थलों की दीवारों को विरूपित करने के कृत्य पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

<u>नवलगढ़ में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नियुक्तः</u> जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके चिड़ावा के उपखण्ड मजिस्ट्रेट नारायण सिंह शेषमा को नवलगढ़ में होली व धुलण्डी के त्योंहार पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट लगाया गया है। चिड़ावा के तहसीलदार को पिलानी कस्बे के अलावा चिड़ावा शहर में भी होली व धुलण्डी के दिन कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

<u>सेना भर्ती रैलीः</u>

सैनिक सामान्य पद की लिखित परीक्षा में 473 अभ्यर्थी सफल

झुंझुनू, 26 फरवरीः गत 30 जनवरी को स्वर्ण जयन्ती स्टेडियम में हुई सैनिक सामान्य पद की लिखित परीक्षा में 473 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये है, जो अब तक हुई परीक्षाओं में रिकॉर्ड उपलब्धि है। इन अभ्यर्थियों को मिलाकर झुंझुनू रैली के सफल अभ्यर्थियों की संख्या एक हजार से अधिक हो चुकी है।

झुंझुनू सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल ए.एस. राठौड़ ने इस भर्ती रैली में जिला प्रशासन द्वारा दिये गये सहयोग के लिए झुंझुनू के जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता व पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी रैली का आयोजन प्रशासन के सहयोग के बिना किया जाना संभव नहीं था। उन्होंने बताया कि नवम्बर 2009 में यहां आयोजित भर्ती रैली में रिकार्ड लड़के आये थे और उस दौरान अधिकाधिक लड़के चयनित किये गये थे। उन्होंने बताया कि इस भर्ती रैली में झुंझुनू जिले के एक हजार से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिला है।

जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने भी मीडिया कर्मियों, सैनिक भर्ती रैली के आयोजकों, पुलिस एवं भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवकों तथा लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक साथ 473 आशार्थी सैनिक परीक्षा में सफल हुये हैं। उन्होंने कहा कि सेना में सर्वाधिक भागीदारी के लिए जिले ने सदैव अपनी पहचान कायम की है।

पशु बांझ निवारण व पशुपालन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

झुंझुनू, 26 फरवरी: पशुपालन विभाग की ओर से जिले में बांझ निवारण योजना के तहत आगामी 11 मार्च से जिले के विभिन्न स्थानों पर पंचायत समितिवार दो-दो गांवों में पशु बांझ निवारण एवं पशुपालन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। शिविरों के दौरान बांझ पशुओं की निशुल्क चिकित्सा के साथ चयनित पशुपालकों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। यह शिविर कुल 5 दिन के होंगे, जिनमें दो दिन शिविरों का फॉलोअप भी किया जायेगा।

पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. मुन्शीराम शिवरान ने बताया कि 11 से 13 मार्च तक झुंझुनू पंचायत समिति के भडौन्दा खुर्द व शेखसर में, 4 से 6 मार्च तक अलसीसर के कोलिण्डा व 15 से 17 मार्च तक बिरमी में, चिड़ावा पंचायत समिति के सारी गांव में 4 से 6 मार्च व बुडानिया में 15 से 17 मार्च तक, खेतड़ी के जसरापुर व बबाई में 15 से 17 मार्च तक, बुहाना के कुहाडवास में 4 से 6 मार्च तक, सूरजगढ़ के झेरली में 7 से 9 मार्च तक व जीणी गांव में 11 से 13 मार्च तक, उदयपुरवाटी के चैक जोधपुरा व बासड़ी में 4 से 6 मार्च तक और नवलगढ़ पंचायत समिति के परसरामपुरा व ढाणी नवलगढ़ में 11 से 13 मार्च तक पशु बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इन शिविरों का फॉलोअप भी दो दिन के हिसाब से निर्धारित तिथियों को इन्हीं गांवों में किया जायेगा। शिविर में मुख्य रूप से प्रजनन सम्बन्धी बीमारियों की चिकित्सा की जायेगी, जिनमें मादा पशु का गर्मी में हीट नहीं आना, कम आना, समय पर गर्मी में न आना व बार-बार गर्मी में आना तथा पशुओं की बच्चेदानी की खराबी व उनमें बार-बार गर्भपात होने व पशु गर्भ की जांच करने जैसे कार्य सम्पादित किये जाएंगे।

सतर्कता समिति की मासिक बैठक का आयोजन आज

झुंझुनू, 26 फरवरी: हर माह होने वाली जिला जन अभाव अभियोग एवं निराकरण समिति की बैठक का आयोजन शनिवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट के सभा भवन में जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में किया जायेगा। अपर जिला कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि सतर्कता समिति में इस बार विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 26 मामलों की सुनवाई करके मौके पर ही पीड़ित पक्षकार को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को बैठक में समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है।

मार्च माह में 42 नसबन्दी शिविरों का आयोजन

झुंझुनू, 26 फरवरीः चिकित्सा विभाग की ओर से मार्च माह में जिले के विभिन्न स्थानों पर 42 नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) डॉ. विद्यासागर ने बताया कि 4 मार्च को मण्ड्रेला में, 5 को सिंघाना में, 7 को मुकुन्गढ़ में, 8 को पीपली में, 10 को बुहाना, अलसीसर व सूरजगढ़ में, 11 को बिरमी व पचेरी कलां में, 12 को नवलगढ़ में, 13 को जसरापुर में, 14 को बसावा में, 15 को टीबा बसई में, 16 को जाखल, खेतड़ी, छावसरी व मलसीसर में, 17 को चंवरा व बबाई में, 18 को सिंघाना व चनाना में, 19 को बगड़ में, 20 को चिराना, उदयपुरवाटी व पपूरना में, 21 को मणकसास व भडौन्दा कलां में, 22 को नूआं में, 23 को पिलानी व रसूलपुर में, 24 को मण्डावा, सोहली व पचलंगी में, 25 को गुढ़ा व शिमला में, 26 को बुहाना में, 27 को सुलताना व नवलगढ़ में, 28 को बड़ागांव में, 29 को खेतड़ी में तथा 30 मार्च को पौंख व टमकोर में नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

सात औषधि विक्रेतओं के लाईसेन्स निलम्बित

झुंझुनू, 26 फरवरीः अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक (सीकर) सी.आर. आल्हा द्वारा झुंझुनू जिले के औषधि विक्रेताओं के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के फलस्वरूप जिले के सात औषधि विक्रेताओं के लाईसेन्स निलम्बित किये गये है। उन्होंने बताया कि मुकुन्दगढ़ के नव जीवन व सुधा मेडिकल स्टोर, मण्डावा के वर्मा व सुरेश मेडिकल स्टोर के लाईसेन्स आगामी 17 मार्च से 31 मार्च तक के लिए, पिलानी के उत्तम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का लाईसेन्स 15 मार्च से 19 मार्च तक, सूरजगढ़ के श्याम मेडिकल स्टोर का 15 मार्च से 21 मार्च तक और बगड़ के केशव मेडिकोज का लाईसेन्स 17 मार्च से 31 मार्च तक के लिए निलम्बित किया गया है।